

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य- 03/2025

दिनांक 30/03/2025

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्या: वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720, दिनांक: जून 04, 2020 व पत्र संख्या: 41/6-पु-3/2020, दिनांक: 04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 29.03.2025 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना भुडकुडा पुलिस टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्तों को 03 अदद देशी तमंचा .315 बोर व 03 अदद कारतूस .315 बोर के साथ किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.03.2025 को व0उ0नि0 धीरेन्द्र कुमार सोनकर, उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह मय हमराह द्वारा अभियुक्तगण 1. अरमान अंसारी पुत्र असरफ अंसारी 2. अरसद अंशारी पुत्र सुकरूल्ला अंसारी निवासीगण ग्राम माखनपुर सदरजहांपुर थाना भुडकुडा जनपद गाजीपुर व बाल अपचारी को ग्राम जलालपुर धन्नी रोड रामबन आखाड़ा के पास से गिरफ्तार किया गया । जिनके पास से 03 अदद देशी तमंचा .315 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ । गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. अरमान अंसारी पुत्र असरफ अंसारी उम्र करीब 21 वर्ष
2. अरसद अंशारी पुत्र सुकरूल्ला अंसारी उम्र करीब 22 वर्ष
3. 01 नफर बाल अपचारी

समस्त निवासीगण ग्राम माखनपुर सदरजहांपुर थाना भुडकुडा जनपद गाजीपुर

बरामदगी -

03 अदद देशी तमंचा .315 बोर व 03 अदद कारतूस .315 बोर

02. 'श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 03 वर्ष का कारावास व 5000/- रु0 अर्थदण्ड की दिलाई गयी सजा।'

दिनांक 29.03.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 42/09 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त नजमू उर्फ नजमूद्दीन पुत्र सरफूद्दीन खां निवासी दिलदारनगर थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर के

विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट में 03 वर्ष के साधारण कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

03. श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 03 वर्ष का कारावास व 5000/- रु0 अर्थदण्ड की दिलाई गयी सजा। ’

दिनांक 29.03.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 235/02 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त निजामुद्दीन उर्फ नज्जू खां पुत्र सरफुद्दीन खां निवासी दिलदारनगर थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट में 03 वर्ष के साधारण कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

04. श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा। ’

दिनांक 29.03.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना सुहवल जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 773/09 धारा 307,323,504,506 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्तगण 1. बेचन तिवारी पुत्र रक्षपाल तिवारी, 2. शैलेन्द्र तिवारी पुत्र रक्षपाल तिवारी, उपरोक्त निवासीगण उतरौली थाना सुहवल जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा 307 भादवि में 10 वर्ष का कारावास, 10-10 हजार रु0 का अर्थदण्ड, धारा 323 में 01 वर्ष का कारावास, धारा 504 भादवि में 01 वर्ष का कारावास व धारा 506 भादवि में 02 वर्ष का कारावास एवं 5000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

05. श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा। ’

दिनांक 29.03.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना सुहवल जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 595/09 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त ओम प्रकाश राय पुत्र अलख नारायण राय निवासी रेवतीपुर थाना सुहवल जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में 01 वर्ष का कारावास व 5000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

06. श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा। ’

दिनांक 29.03.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना सुहवल जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 774/09 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त शैलेन्द्र तिवारी पुत्र रक्षपाल तिवारी निवासी उत्तरौली थाना सुहवल जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में 02 वर्ष का कारावास व 5000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर**